फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री गणपत बनाम विपक्षी श्री मनोहर व अन्य

किस्म मुकदमा – 128 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 64/25

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक 20.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 7 उपस्थित। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 6 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 7 द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। विपक्षी संख्या 7 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण मे अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि मे प्रार्थीगण खातेदार है। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडौसी है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि का पक्का पुख्ता सीमाकंन नही होने से सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के बीच विवाद रहता है जिससे पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 6 अनुपस्थित रहें।

हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार हैं। खातेदार को अपनी भूमि पर पत्थरगढी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार है। पत्थरगढी किये जाने से प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमाकंन हो जायेगा तथा भविष्य में सीमा संबंधित विवाद नहीं रहेंगा जिससे प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में सशर्त स्वीकार किया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का सशर्त स्वीकार किया जाता है कि मौजा अमरपुरा जागीर पटवार हल्का अमरपुरा जागीर तहसील कानोड जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078–81 की खाता संख्या नया 206 की आराजी न. 1, 2, 3, 4 किता 4 रकबा 0.6700 है. भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान को सूचित कर पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। यदि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम व रेकर्ड में कोई त्रुटि हो तो पत्थरगढी नहीं की जावें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है तो प्रार्थीगण कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थीगण अदा करेगें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश चन्द्र बहेडिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला उदयपुर (राज)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)